संख्याः45/2025/001-88/23-12-2025-23-12099-622-2020

प्रेषकः

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ, दिनांक 04 मार्च, 2025

विषय-उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत एशियन विकास बैंक के ऋण से निर्माणाधीन मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग (एम0डी0आर0-135डब्लू) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण तथा उसके अनुरक्षण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0-158/पी0जे011/15पी0जे0/23, दिनांक 20.07.2023 द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-12/2015/985/23-12-15-159/15 (आर), दिनांक 24.08.2015 द्वारा रू0 18581.85 लाख तथा प्रथम पुनरीक्षित शासनादेश सं0-42/2018/1292/23-12-18-1385/16, दिनांक 28.06.2018 द्वारा रू0 29806.89 लाख की प्रदान की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 30721.37 लाख /संशोधित लागत रू0 30752.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध/प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0 लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 20.07.2023 में किये गये अनुरोध तथा व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना हेतु रू0 30727.52 लाख पर प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत एशियन विकास बैंक के ऋण से निर्माणाधीन मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग (एम0डी0आर0-135डब्लू) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण तथा उसके अनुरक्षण कार्य हेतु पुनरीक्षित रू0 30727.52 लाख (रूपये तीन सौ सात करोड़ सत्ताईस लाख बावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011 -17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/ दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक- ''1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली'' में जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) एशियन विकास बैंक एवं योजना की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0-12/2015/985/23-12-15-159/15(आर), दिनांक 24.08.2015 एवं दिनांक 28.06.2018 की शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत पुनरीक्षित प्रायोजना में प्राविधानित एवं नवीन प्रस्तावित (चेंज आफ स्कोप) सम्बन्धी मार्ग निर्माण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रिहैबिलेशन एवं रिसेटेलमेंट एवं फारेस्ट सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। इन्हें यथा प्रस्तावित आंकलित लागत में सम्मिलित कर लागत को अनुमन्य किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा। विभाग यह भी संज्ञान में लेना चाहे कि चेन्ज आफ स्कोप में प्रस्तावित कार्य स्वीकृत प्रायोजना में सम्मिलित तो नहीं थे एवं इन कार्यों में किसी प्रकार की द्विरावृत्ति तो नहीं हुई है।

(14) वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र 177/09/2022TRU दिनाँक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनॉक 18-07-2022 से जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत लागत का आंकलन हेतु सम्पादित कार्यों पर 12 प्रतिशत एवं अवशेष कार्यों पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० अनुमन्य कर किया गया है। जी०एस०टी० की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(16) प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(17) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(20) लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(21) प्रशा0 विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(22) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) उक्त सम्बन्ध में शासनादेश सं0-952/23-12-18-890/18, दिनांक 04.05.2018 में निहित शासन के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) लोक निर्माण विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-831-एक्स-2024-25, दिनांक 04.03.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव

<u>सं0- 45 /2025/001-88(1)/23-12-2025-23-12099-622-2020 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
(4) प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता, बाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(9) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8
(10) लोक निर्माण अनु0-10
(11) प्रभारी, डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव